



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228765
CG-DL-E-05082021-228765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]
No. 437]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2021/श्रावण 14, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2021/SHRAVANA 14, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 536(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 161 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 164सी की उप-धारा (2) के खंड (य) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, 1 परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ित मुआवजा स्कीम, 2021 कहा जा सकता है।
(2) यह राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- क. "अधिनियम" से अभिप्रेत है मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)।
- ख. "बीमाकृत वाहनों के लिए खाता" से अभिप्रेत है कोष का ऐसा हिस्सा, जो अधिनियम की धारा 162 के तहत बनाई गई स्कीम की अनुपालना में बीमित वाहनों द्वारा हुई मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के नगदी रहित उपचार के लिए उपयोग किया जाता है;
- ग. "अबीमाकृत वाहनों/हिट एंड रन दुर्घटना के लिए खाता" से अभिप्रेत है कोष का ऐसा हिस्सा जिसका उपयोग अधिनियम की धारा 162 के तहत बनाई गई स्कीम की अनुपालना में अबीमाकृत वाहनों/हिट एंड रन दुर्घटनाओं के कारण मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के नगदी रहित उपचार के लिए किया जाता है।
- घ. "नगदी रहित उपचार" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 162 के तहत बनाई गई स्कीम की अनुपालना में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को उपलब्ध कराया गया उपचार;
- ङ.. "दावा जांच अधिकारी" से अभिप्रेत है उप-मंडलीय अधिकारी, तहसीलदार या राज्य के प्रत्येक राजस्व जिले में एक तालुका के राजस्व उप-प्रभाग का कोई अन्य प्रभारी अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उप-मंडलीय अधिकारी के पद या तहसीलदार से कम न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
- च. "दावा निपटान आयुक्त" से अभिप्रेत है जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, जिलाधीश या राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस रूप में नियुक्त राजस्व जिले का कोई अन्य प्रभारी अधिकारी।
- छ. "खंड" से अभिप्रेत है इन नियमों का खंड।
- ज. "जिला स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है खंड 11 के तहत गठित समिति।
- झ. "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र।
- ञ. "हिट एंड रन मुआवजा कोष" से अभिप्रेत है मोटर वाहन दुर्घटना कोष का ऐसा हिस्सा है, जिसका उपयोग बीमाकृत वाहनों / हिट एंड रन दुर्घटना, यदि कोई हो, के खाते से हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे का भुगतान करने और हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के नगदीरहित उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है।
- ट. मोटर वाहन दुर्घटना कोष से अभिप्रेत है धारा 164बी के तहत प्रतिपादित किया गया कोष और इसमें बीमित वाहनों के लिए खाता, अबीमाकृत/हिट एंड रन के लिए खाता और हिट एंड रन मुआवजा कोष शामिल होगा।
- ठ. "स्थायी समिति" से अभिप्रेत है खंड 3 के तहत गठित समिति।
- ड. "परिवहन आयुक्त" का अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी से है और इसमें परिवहन महानिदेशक, परिवहन निदेशक या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिवहन नियंत्रक शामिल हैं।

3. स्थायी समिति – (1) एक स्थायी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -

- क. संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अध्यक्ष
- ख. संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय..... सदस्य
- ग. संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय सदस्य

घ. सचिव, साधारण बीमा परिषद.....सदस्य

ड.. फिलहाल भारत में साधारण बीमा कारोबार कर रही बीमा कंपनियों के महाप्रबंधक (तीन कंपनियां आवर्तन के आधार पर) सदस्य

च. परिवहन आयुक्त, तीन राज्यों से एक-एक, केंद्र सरकार द्वारा आवर्तन के माध्यम से मनोनीत सदस्य

छ. प्रधान सीसीए, एमओआरटीएच द्वारा नामित प्रतिनिधि

ज. निदेशक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सदस्य

झ. साधारण बीमा परिषद द्वारा नामित एक अधिकारी सदस्य सचिव

ञ. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कोई प्रतिनिधि - सदस्य

(2) किसी पद के आधार पर सदस्य के रूप में नामित व्यक्ति के उस पद पर नहीं रहने की स्थिति में वह सदस्य भी नहीं रहेगा।

4. स्थायी समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक - किसी सदस्य को उनके लिए स्वीकार्य दरों पर और जिस स्रोत से वे वेतन लेते हैं, में भुगतान किए जाने वाले यात्रा और दैनिक भत्ते को छोड़कर किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. स्थायी समिति की शक्तियां और कार्य - स्थायी समिति करेगी:

- i. इन नियमों के प्रचालन की सावधिक समीक्षा करेगी, जिसमें नियम 24 के तहत जीआईसी रिपोर्ट पर विचार करना और इसके कार्यान्वयन तथा जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाना शामिल है;
- ii. जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक रिपोर्टों में उठाए गए मुद्दों पर विचार करना और जहां भी आवश्यक हो, इन नियमों के कार्यान्वयन में धोखाधड़ी की रोकथाम सहित मार्गदर्शन या निर्देश देना;
- iii. विशेष रूप से धोखाधड़ी की रोकथाम के संबंध में हिट एंड रन मुआवजा कोष के कुशल संवितरण और कामकाज को सक्षम करने के लिए इन नियमों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करना;
- iv. स्थायी समिति और जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्य संचालन के लिए विनियमन तैयार करना।

6. स्थायी समिति की बैठक - स्थायी समिति की बैठक ऐसे समय, तारीख और ऐसे स्थान पर होगी, जिसे अध्यक्ष इस निमित्त से समय-समय पर नियत करे:

बशर्ते कि समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

7. कार्यवाह संख्या (कोरम) - कम से कम पांच सदस्यों से कोरम तैयार होगा:

बशर्ते कि अगर किसी बैठक में कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष बैठक को कम से कम सात दिन के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर सकते हैं और उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए तथा अन्य सदस्यों को नोटिस भेज सकते हैं कि वह स्थगित बैठक में कार्य को निपटाने का प्रस्ताव करते हैं, फिर कोरम पूरा होता है या नहीं और उसके बाद वह ऐसी स्थगित बैठक में कार्य का निपटान कर सकते हैं।

8. निर्णय - प्रत्येक मामले का निर्धारण उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान से किया जाएगा और बराबर मतों के मामले में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

9. बैठक की सूचना- (1) सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को ऐसी बैठक से कम से कम सात दिन पहले ऐसी प्रत्येक बैठक के लिए निर्धारित समय, तिथि और स्थान की सूचना दी जाएगी और प्रत्येक सदस्य को उक्त बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य की सूची उपलब्ध कराई जाएगी:

बशर्ते कि जब अध्यक्ष द्वारा तत्काल बैठक बुलाई जाए तो ऐसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, सदस्य-सचिव प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजेंगे।

(2) अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी काम जो कार्यसूची में नहीं है, पर बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

10. बैठक का कार्यवृत्त- स्थायी समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा और उसके बाद कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सहित स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के रिकॉर्ड पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

11. जिला स्तरीय समिति - (1) प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -

- (क) दावा निपटान आयुक्त अध्यक्ष
- (ख) दावा जांच अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य
- (ग) जिले के पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय);
- (घ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या मोटर वाहन विभाग का कोई अन्य अधिकारी सदस्य
- (ङ.) अध्यक्ष द्वारा नामित सड़क सुरक्षा के पहलुओं से संबद्ध सरकारी या स्वैच्छिक संगठन का कोई भी सदस्य।
- (च) जीआईसी द्वारा नामित एक अधिकारी सदस्य-सचिव

(2) किसी पद के आधार पर सदस्य के रूप में नामित किसी व्यक्ति के उस पद से हटने पर वह सदस्य भी नहीं रहेगा।

(3) उपखंड (1) के मद (घ) और (ङ.) के तहत नामित सदस्यों की कार्यावधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

12. जिला स्तरीय समिति के सदस्य का पारिश्रमिक- सदस्य को उसके संबंधित विभाग में अनुमेय दर पर और जिस स्रोत से वह वेतन लेता है उससे यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान करने के अलावा किसी भी तरह के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। साधारण बीमा परिषद द्वारा खंड 11 के उप-खंड (1) के मद (ङ.) के तहत नामित सदस्य को साधारण बीमा परिषद द्वारा तय की जाने वाली दर पर यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

13. जिला स्तरीय समिति की शक्तियां और कार्य - जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्य करेगी। यह इस तरह के कार्य भी करेगी:

- i. संबंधित जिले में स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाना;
- ii. स्थायी समिति को तिमाही आधार पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्त किए गए, प्रदान किए गए, लंबित दावों के आवेदनों और लंबित होने के कारणों के बारे में माहवार आंकड़े शामिल होंगे;
- iii. जिले में अन्य प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क रखना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम का पर्याप्त प्रचार हो;
- iv. संबंधित प्राधिकारियों और दावेदार (ओं) को मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण, जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपलब्ध कराना; तथा
- v. दावेदार (ओं) को उपलब्ध अधिकारों और इन नियमों के तहत मुआवजे के प्रावधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

14. जिला स्तरीय समिति की बैठक- जिला स्तरीय समिति की बैठक संबंधित जिले के भीतर ही समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नियत ऐसे समय, तिथि और स्थान पर होगी:

बशर्ते कि समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

15. कार्यवाह संख्या (कोरम) - कम से कम तीन सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

16. निर्णय- प्रत्येक मामले का निर्धारण उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान से किया जाएगा। मतों की बराबरी के मामले में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

17. बैठक की सूचना - (1) सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक के लिए नियत समय, तिथि और स्थान की सूचना ऐसी बैठक से कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी और प्रत्येक सदस्य को उक्त बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य की सूची उपलब्ध कराई जाएगी:

बशर्ते कि जब अध्यक्ष द्वारा तत्काल बैठक बुलाई जाए तो ऐसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, सदस्य-सचिव प्रत्येक सदस्य को एक सूचना भेजेंगे।

(2) कोई भी काम जो कार्य की सूची में नहीं है, उस पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

18. बैठक का कार्यवृत्त - जिला स्तरीय समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा और उसके बाद कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सहित स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के रिकॉर्ड पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

19. बीमा कंपनी का नामांकन - साधारण बीमा परिषद इस अधिनियम की धारा 161 और इस योजना के तहत दावों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में अपने किसी कार्यालय या बीमा कंपनी को नामित करेगी।

20. दावा के लिए आवेदन करने की कार्यविधि - (1) आवेदक इस स्कीम के तहत मुआवजे की मांग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सहित उपचार करने वाले अस्पताल द्वारा इस अधिनियम की धारा 162 के तहत तैयार की गई नगदीरहित उपचार की स्कीम के अनुसार किए गए दावे की एक प्रति, यदि कोई हो, के साथ प्रपत्र 1 में एक आवेदन और प्रपत्र IV में वचनबद्धता और प्रपत्र I में उल्लिखित ऐसे अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप सहित जिस उप-मंडल या तालुका में दुर्घटना हुई थी, वहां के दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां दावा जांच अधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए आधारों को स्वीकार नहीं करता है, तो वह स्पष्ट आदेश दर्ज करेगा और दावा आवेदन को अस्वीकार करने के कारणों के बारे में आवेदक को सूचित करेगा।

21. दावा जांच अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि - (1) दावा आवेदन प्राप्त होने पर दावा जांच अधिकारी संबंधित प्राधिकारियों से तुरंत प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (एफएआर), पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, की एक प्रति प्राप्त करेगा और हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के कारण होने वाले दावों से संबंधित जांच करेगा।

(2) दावा जांच अधिकारी के यह कर्तव्य होंगे-

i. जहां एक से अधिक दावेदार हैं, वहां सही दावेदार कौन हैं, यह तय करना;

ii. दावा निपटान आयुक्त को यथाशीघ्र और किसी भी मामले में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी सिफारिश के साथ प्रपत्र II में एक रिपोर्ट और दावेदार से प्राप्त प्रपत्रों तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करना।

(3) जहां दावा निपटान आयुक्त ने खंड 22 के उप-खंड (3) के तहत आगे की जांच के लिए दावा जांच अधिकारी को कोई रिपोर्ट वापस भेजी है, तो दावा जांच अधिकारी ऐसी अतिरिक्त आवश्यक जांच करेगा और अंतिम आदेश के लिए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट को दावा निपटान आयुक्त के समक्ष फिर से प्रस्तुत करेगा।

22. दावों की स्वीकृति- (1) उप-खंड (2) के अधीन दावा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावा निपटान आयुक्त, जहां तक संभव हो, इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर दावे की स्वीकृति देगा और प्रपत्र III में स्वीकृति आदेश तथा दावेदार से प्राप्त प्रपत्रों एवं दस्तावेज के बारे में न्यास/जीआईसी को और एक प्रति के साथ निम्नलिखित को सूचित करेगा: -

(क) दावा जांच अधिकारी।

(ख) दावेदार।

(ग) संबंधित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण।

(घ) संबंधित परिवहन आयुक्त।

(ड.) साधारण बीमा परिषद मुख्यालय।

(2) दावा निपटान आयुक्त इस अधिनियम की धारा 162 के तहत बनाई गई स्कीम के अनुसार नगदीरहित उपचार करने वाले अस्पताल द्वारा किए गए दावे में कटौती करेगा और शेष राशि की स्वीकृति देगा:

बशर्ते कि पीड़ित के नगदीरहित उपचार पर खर्च की गई राशि हिट एंड रन मुआवजा कोष से मोटर वाहन दुर्घटना कोष के अबीमाकृत/हिट एंड रन के खाते में हस्तांतरित की जाएगी:

बशर्ते कि इसके अलावा अगर इस अधिनियम की धारा 162 के तहत बनाई गई योजना के अनुसार नगदीरहित उपचार करने वाले अस्पताल द्वारा किया गया दावा इस अधिनियम की धारा 161 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि से अधिक है, तो दावेदार या मृतक के कानूनी प्रतिनिधि, जो भी मामला हो, को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा;

(3) जहां दावा निपटान आयुक्त को दावा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में कोई संदेह है, तो वह आगे और जांच के लिए रिपोर्ट फिर से दावा जांच अधिकारी को भेजेगा, जिसमें उन विशिष्ट बिंदुओं का उल्लेख होगा जिन पर जांच की जानी है।

23. मुआवजे का भुगतान - (1) दुर्घटना पीड़ित की मृत्यु के कारण किए गए दावों के मामले में, नियम 22 के तहत दिए गए मुआवजे का भुगतान दावा जांच अधिकारी द्वारा तय किए गए मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को किया जाएगा।

(2) गंभीर चोट के दावों के मामले में, नियम 22 के तहत दिया गया मुआवजा घायल व्यक्ति को दिया जाएगा।

(3) प्रपत्र III में स्वीकृति आदेश और दावेदार से प्रपत्र और दस्तावेज प्राप्त होने पर न्यास/जीआईसी दावेदार या मृतक के कानूनी प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में ई-भुगतान करेगा और साथ ही उन सभी संबंधित प्राधिकारियों को सूचना भेजेगा जिन्हें स्वीकृति आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई है।

(4) उप-नियम (3) के तहत भुगतान स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

बशर्ते कि दावा निपटान आयुक्त को स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए भुगतान 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जा सकता है।

(5) उप-नियम (3) के तहत मुआवजे के संवितरण पर दावा जांच अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में, किए गए दावे और किए गए भुगतान की तारीख सहित एक रिकॉर्ड रखेगा, जिसका उपयोग नियम 13 (ii) के तहत तिमाही रिपोर्ट को भरने के लिए किया जाएगा।

24. वार्षिक रिपोर्ट- साधारण बीमा परिषद स्कीम के कामकाज पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसकी एक प्रति केंद्र सरकार को देनी होगी।

2. यह का.आ.440(अ), दिनांक 12.06.1989 के माध्यम से जारी मुआवजा योजना, 1989 का अधिक्रमण करता है।

प्रपत्र ।

[खंड 20 (1)]

हिट एंड रन मुआवजा कोष से मुआवजे के लिए आवेदन पत्र

मैं,.....श्री.....का पुत्र*/पुत्री*/विधवा* निवासी
मोटर वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण एतद्वारा गंभीर चोटों के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए आवेदन करता हूं। मुझे लगी चोट के संबंध में आवश्यक विवरण नीचे दिया गया है: -

मैं,.....श्री.....का पुत्र*/पुत्री*/विधवा* निवासी
श्री,जो में को एक मोटर वाहन दुर्घटना में मारे गए/घायल हो गए थे,का पुत्र/पुत्री/विधवा* श्री/श्रीमती/कुमारी.....एतद्वारा मृत्यु/चोट के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए कानूनी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करता हूं। दुर्घटना के संबंध में विवरण और अन्य जानकारी नीचे दी गई है: -

1. घायल/मृत व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला या विधवा के मामले में पति का नाम):
2. घायल/मृत व्यक्ति का पता:
3. आयु जन्म तिथि.....
4. घायल/मृत व्यक्ति का लिंग:
5. गंभीर रूप से चोट लगने की स्थिति में दावेदार का आधार नंबर या कानूनी प्रतिनिधि का आधार नंबर।
6. घायल व्यक्ति/मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के बैंक खाते की पासबुक की प्रति.....
7. दुर्घटना का स्थान, तिथि और समय:
8. घायल/मृत व्यक्ति का व्यवसाय:
9. लगी चोटों की प्रकृति:
10. उस पुलिस थाने का नाम और पता जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई या दर्ज की गई थी:
11. घायल/मृतक का उपचार करने वाले अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक का नाम और पता:
12. दावेदार/दावेदार (ओं) का नाम और पता:
13. मृतक के साथ संबंध:
14. अधिनियम की धारा 162 के तहत बनाई गई स्कीम के अनुसार नगदी रहित उपचार करने वाले अस्पताल द्वारा दिए गए बिल की प्रति
15. कोई अन्य जानकारी जिसे दावे के निपटान में आवश्यक या उपयोगी समझा जा सकता है:

मैं एतद्वारा वचन देता हूं और पुष्टि करता हूं कि ऊपर उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य हैं।

दावेदार के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्रपत्र II**[खंड 21 (2) (ii)]**

दावा जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली दावा जांच रिपोर्ट

1. मृतक/घायल व्यक्ति का नाम और पता:
2. दुर्घटना का स्थान, समय और तारीख:
3. उस पुलिस थाने का विवरण जिसमें दुर्घटना दर्ज की गई थी:
4. मृतक/घायल की जांच करने वाले अस्पताल/चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक का विवरण:
5. समन भेजे गए और जांच किए गए व्यक्तियों का विवरण:
6. क्या हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में मृत्यु/चोट का तथ्य प्रमाणित किया गया है या नहीं और यह निष्कर्ष निकालने का कारण:
7. मुआवजे के भुगतान के लिए पात्र दावेदार (ओं) का नाम और पता:
8. पीड़ित के नगदीरहित उपचार पर व्यय की गई राशि।
9. दावेदार को भुगतान के लिए अनुशंसित मुआवजे की राशि। (एक से अधिक दावेदार (ओं) के मामले में उस राशि के दावेदार (ओं) में प्रत्येक पात्र है और उसके कारणों का उल्लेख किया जाएगा)।
10. दावे के निपटान के लिए प्रासंगिक या उपयोगी कोई अन्य जानकारी या रिकॉर्ड।

दावा जांच अधिकारी के
हस्ताक्षर, पदनाम

मोहर:

दिनांक:

प्रपत्र III**[खंड 22 (1)]**

क्रम सं.

दावा निपटान आयुक्त

जिला.....

आदेश

मैं एतद्वारा हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं, जो..... (स्थान का नाम) पर..... (तारीख) को हुई के परिणामस्वरूप(मृतक का नाम) की मृत्यु/गंभीर चोट (घायल का नाम) के संबंध में मृतक (.....) या(घायल का नाम) के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी..... के लिए रु. (मात्र..... रु.) का मुआवजा स्वीकृत करता हूँ।

दावा निपटान आयुक्त

प्रति: —

1. न्यास और जीआईसी
2. दावेदार;
3. मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण;
4. दावा जांच अधिकारी;
5. स्थायी समिति के सदस्य सचिव।

प्रपत्र IV

[खंड 20(1)]

दावा प्रतिदाय के लिए वचनबद्धता

(मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163 के तहत)

मैं/हम.....मृतक/घायल..... के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के रूप में एतद्वारा वचन देते हैं कि अगर मुझे/हमें कोई अन्य मुआवजा या राशि के बदले या की मृत्यु या गंभीर चोट के संबंध में मुआवजे के दावे की संतुष्टि के जरिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के किसी अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या अन्यथा प्रदान किया जाता है, तो मैं/हम इस अधिनियम की धारा 161 के तहत मुझे/हमें दी जा सकने वाली मुआवजा राशि, मोटर वाहन दुर्घटना कोष के हिट एंड रन मुआवजा कोष में प्रतिदाय करेंगे।

मृतक/घायल व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर"

[फा. सं. आरटी-11036/64/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2021

G.S.R. 536(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (z) of sub-section (2) of section 164C read with sub-section (3) of section 161 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email : comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Scheme for Compensation to victims of Hit & Run Accidents, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the official Gazette.

2. Definitions. — In the scheme, unless the context otherwise requires, —

- a. "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).
- b. "Account for Insured Vehicles" means such part of the Fund that is utilized for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by insured vehicles in accordance with the Scheme framed under section 162 of the Act;
- c. "Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident" means such part of the Fund that is utilized for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by uninsured vehicles/ hit and run accidents in accordance with the Scheme framed under section 162 of the Act.
- d. "Cashless Treatment" means treatment provided to the victims of road accidents in accordance with the scheme framed under section 162 of the Act;

- e. “Claims Enquiry Officer” means the Sub-Divisional Officer, Tehsildar, or any other officer in charge of the revenue sub-division of a Taluka in each revenue district of a State or such other officer not below the rank of Sub-Divisional Officer or a Tehsildar, as may be specified by the State Government.
- f. “Claims Settlement Commissioner” means the District Magistrate, the Deputy Commissioner, the Collector or any other officer-in-charge of a revenue district in a State appointed as such by the State Government.
- g. “Clause” means clause of these rules.
- h. “District-level Committee” means a Committee set up under Clause 11.
- i. “Form” means a Form annexed to these rules.
- j. “Hit and Run Compensation Fund” means such part of the Motor Vehicle Accident Fund that is utilized for the payment of compensation for hit and run accident victims and reimbursement of cashless treatment expenditure of hit and run accident victims, to the Account for Uninsured vehicles/Hit & Run Accident, if any.
- k. Motor Vehicle Accident Fund means a fund as formulated under Section 164B, and shall include the Account for Insured Vehicles, Account for Uninsured/Hit and Run, and the Hit and Run Compensation Fund.
- k. “Standing Committee” means a Committee set up under Clause 3.
- l. “Transport Commissioner” means an officer appointed as such by the State Government and includes the Director General of Transport, Director of Transport or the Controller of Transport, appointed by the State Government.

3. Standing Committee. — (1) There shall be a Standing Committee consisting of the following members, namely:—

- a. Joint Secretary, Ministry of Road Transport & Highways Chairman
- b. Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance.....Member
- c. Joint Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance.....Member
- d. Secretary, General Insurance Council Member
- e. General Managers of Insurance Companies for the time being carrying on general insurance business in India (three companies on rotation basis) Members
- f. Transport Commissioners, one each from three States, nominated by the Central Government by rotation Members
- g. Representative as nominated by Principal CCA, MoRTH
- h. Director, Ministry of Road Transport & Highways..... Member
- i. An officer nominated by General Insurance Council Member Secretary
- j. any representative, as nominated by Chairman. -Member

(2) The person nominated as a member by virtue of an office shall cease to be a member when he ceases to hold that office.

4. Remuneration of members of Standing Committee. — A member shall not be paid any remuneration, except travelling and daily allowance at the rates admissible to him and be paid from the source he draws salary.

5. Powers and functions of the Standing Committee. — The Standing Committee shall:

- i. periodically review the working of these rules, including consideration of the GIC Report under Rule 24, and its implementation and direct corrective steps, wherever necessary;
- ii. consider the issues raised in the quarterly reports of the District-level Committee and provide guidance or directions, including on prevention of fraud in implementation of these rules, wherever called for;
- iii. make recommendations to the Central Government for amendment of these rules to enable the efficient disbursement and working of the Hit and Run Compensation Fund, specifically with respect to prevention of fraud;
- iv. frame regulations for conduct of business by the Standing Committee and District Level Committee.

6. Meeting of the Standing Committee. —The Standing Committee shall meet at such time, date and at such a place as the Chairman may, from time to time, appoint in this behalf:

Provided that the Committee shall meet at least once a year.

7. Quorum. — Not less than five members shall form a quorum:

Provided that if at any meeting there is no quorum, the Chairman may adjourn the meeting to a date not less than seven days later, informing the members present and sending notices to other members that he proposes to dispose off the business at the adjourned meeting, whether there is a quorum or not, and he may thereupon dispose off the business at such adjourned meeting.

8. Decision. — Every matter shall be determined by a majority of votes of the members present and voting and, in case of equality of votes, the Chairman shall have a casting vote.

9. Notice of meeting. — (1) Notice shall be given by the Member-Secretary to every member of the time, date and place fixed for each such meeting at least seven days before such meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed off at the said meeting:

Provided that when an urgent meeting is called by the Chairman, such notice shall not be necessary. However, Member-Secretary shall send an intimation to each member.

(2) No business which is not on the list of business shall be considered at a meeting without the permission of the Chairman.

10. Minutes of the meeting. — The proceedings of each meeting of the Standing Committee shall be circulated to all members and thereafter recorded in a minutes book which shall be kept as a permanent record, including in electronic form. The record of the proceedings of each meeting shall be signed by the Chairman.

11. District Level Committee. — (1) There shall be a District Level Committee in each District consisting of the following members, namely: —

- (a) Claims Settlement Commissioner Chairman
- (b) Claims Enquiry Officer, nominated by the State Government Member
- (c) Superintendent of Police/ Deputy Superintendent of Police (HQ) of the District;
- (d) The Regional Transport Officer or any other officer of Motor Vehicles Department as nominated by the State Government Member
- (e) Any member of the public or a voluntary organization connected with road safety aspects as nominated by the Chairman.
- (f) An officer nominated by the GIC Member-Secretary

(2) A person nominated as a member by virtue of an office shall cease to be member when he ceases to hold that office.

(3) The term of office of the members nominated under items (d) and (e) of sub-clause (1) shall be determined by the State Government.

12. Remuneration of Member of the District Level Committee. — A member shall not be paid any remuneration except travelling and daily allowance at the rate admissible to him in his respective Department and be paid from the source he draws salary. A member nominated under item (e) of sub-clause (1) of clause 11 shall be paid travelling allowance/dearness allowance by General Insurance Council, at the rate as may be decided by the General Insurance Council.

13. Powers and functions of District Level Committee. — The District Level Committee shall undertake all functions connected with the implementation of the scheme at the District Level. It shall also perform functions such as:

- i. to evaluate the progress of implementation of the scheme in the concerned District and take corrective steps, wherever necessary;
- ii. to submit a report on quarterly basis to the Standing Committee, including in electronic form. The report shall, inter alia, include month-wise statistics about the claim applications received, awarded, pending and reasons for pendency;
- iii. to keep close liaison with other authorities in the district so as to ensure that the scheme gets adequate publicity;
- iv. to provide guidance/clarifications to concerned authorities and claimants, wherever called for; and
- v. to raise awareness about the rights available to claimants and the provision of compensation under these rules.

14. **Meeting of the District Level Committee.** — The District Level Committee shall meet at such time, date and place, within the concerned District itself, as the Chairman may, from time to time, appoint in this behalf:

Provided that the Committee shall meet at least once in each quarter.

15. **Quorum.** — Not less than three members shall form a quorum.

16. **Decision.** — Every matter shall be determined by a majority of votes of the members present and voting. In case of equality of votes, Chairman shall have a casting vote

17. **Notice of meeting.** — (1) Notice shall be given by Member-Secretary to each member of the time, date and place fixed for the meeting at least seven days before such a meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed off at the said meeting:

Provided that when an urgent meeting is called by the Chairman, such notice shall not be necessary. However, Member-Secretary shall send an intimation to each member.

(2) No business which is not on the list of business shall be considered at a meeting without the permission of the Chairman.

18. **Minutes of the meeting.** — The proceedings of each meeting of the District Level Committee shall be circulated to all members and thereafter recorded in a minutes book which shall be kept as a permanent record, including in electronic format. The record of the proceedings of each meeting shall be signed by Chairman.

19. **Nomination of insurance company.** — General Insurance Council shall nominate any of its office or an insurance company in each District for settlement of claims under section 161 of the Act and of this scheme.

20. **Procedure for making the claim application.** — (1) The applicant shall submit an application seeking compensation under this scheme in Form I, including through electronic means, along with a copy of claim raised by the hospital providing the treatment, if any, as per Scheme for Cashless Treatment formulated under section 162 of the Act, and the undertaking in Form IV, and such other documents mentioned in Form I, including through electronic means, to the Claims Enquiry Officer of the Sub-Division or Taluka in which the accident took place.

(2) Where the Claims Enquiry Officer does not accept the grounds advanced by the applicant he shall record speaking orders and communicate to the applicant reasons for not accepting the claim application.

21. **Procedure to be followed by the Claims Enquiry Officer.** — (1) On receipt of claims application, the Claims Enquiry Officer shall immediately obtain a copy of the First Accident Report (FAR), post mortem report, as the case may be, from the concerned authorities and hold enquiry in respect of claims arising out of the hit and run motor accident.

(2) It shall be the duty of the Claims Enquiry Officer—

- i. to decide as to who are the rightful claimants, where there are more than one claimant;
- ii. to submit to the Claims Settlement Commissioner, as early as possible, and in any case within a period of one month from the date of receipt of application, a report in Form II, along with his own recommendation, and the Forms and documents received from the claimant.

(3) Where the Claims Settlement Commissioner has returned any report to the Claims Enquiry Officer for further enquiry under sub-clause (3) of clause 22, the Claims Enquiry Officer shall make such additional enquiries as may be necessary and re-submit the report to the Claims Settlement Commissioner within 15 days for final order.

22. **Sanctioning of claims.** — (1) Subject to sub-clause (2), on receipt of report of the Claims Enquiry Officer, the Claims Settlement Commissioner shall sanction the claim, as far as possible, within a period not exceeding fifteen days from the date of receipt of such report and communicate the sanction order in Form III, and the Forms and documents received from the claimant, to the Trust/GIC, with a copy to the following:—

- (a) the Claims Enquiry Officer.
- (b) the claimant.
- (c) the concerned Motor Accident Claim Tribunal.
- (d) the concerned Transport Commissioner.
- (e) General Insurance Council headquarters.

(2) Claims Settlement Commissioner shall deduct the claim raised by the hospital which has provided Cashless treatment as per scheme framed under section 162 of the Act and sanction the balance amount:

Provided that the amount spent on cashless treatment of the victim shall be transferred from the Hit and Run Compensation Fund to the Account for Uninsured/Hit & Run of the Motor Vehicle Accident Fund:

Provided further that if the claim raised by the hospital which has provided Cashless treatment as per Scheme framed under section 162 of the Act, is greater than the fixed sum compensation under section 161 of the Act, no compensation shall be paid to the claimant or legal representative of the deceased, whichever the case may be;

(3) Where the Claims Settlement Commissioner has any doubt in respect of the report submitted by the Claims Enquiry Officer, he shall return the report to the Claims Enquiry Officer for further enquiry, indicating the specific points on which the enquiry is to be made.

23. Payment of compensation. — (1) In the case of claims arising out of death of an accident victim, the compensation awarded under Rule 22 shall be made to the legal representatives of the deceased decided by the Claims Enquiry Officer.

(2) In the case of claims arising out of grievous hurt, the compensation awarded under Rule 22 shall be made to the person injured.

(3) The Trust/GIC, immediately on receipt of the sanction order in Form III, and the Forms and documents from the claimant, shall make the e-payment to the bank account as provided by the claimant or legal representative of the deceased, as the case may be, and simultaneously send intimation to all the concerned authorities to whom the copy of the sanction order is endorsed.

(4) The payment under sub-rule (3) shall be made within 15 days from the date of receipt of the sanction order.

Provided that the payment may be made within a further period of 30 days, for reasons to be recorded in writing to the Claims Settlement Commissioner.

(5) Upon disbursement of the compensation under sub-rule (3), the Claims Enquiry Officer shall maintain a record, including in electronic form, of the claim awarded and the date of payment made, which shall be used to populate the quarterly report under rule 13(ii).

24. Annual report. — The General Insurance Council shall prepare an annual report on the working of the scheme and submit the same before the Standing Committee, with a copy to the Central Government.

25. This supersedes the Solatium Scheme, 1989 issued vide S.O 440(E), dated 12.06.1989.

FORM I

[Clause 20 (1)]

FORM OF APPLICATION FOR COMPENSATION FROM HIT & RUN COMPENSATION FUND

I, ...son*/daughter*/widow* of Shri residing at having been grievously injured in motor vehicle accident hereby apply for grant of compensation for the grievous injuries sustained. Necessary particulars in respect of the injury sustained by me are given below: —

I, ...son of/daughter of/widow of* Shri residing at hereby apply as a legal representative for the grant of compensation on account of death/injuries sustained by Shri/Shrimati/Kumari son of/daughter of/widow* of Shri who died/had sustained injuries in a motor vehicle accident on at Particulars in respect of accident and other information are given below: —

1. Name and father's name of person injured / dead (husband's name in case of married woman or widow):
2. Address of the person injured/dead:
3. Age.....Date of Birth.....
4. Sex of the person injured/dead:
5. Aadhaar Number of the claimant in case of grievous hurt or Aadhaar Number of legal representative.
6. Copy of Passbook of the bank account of person injured/ legal representative of the deceased.....
7. Place, date and time of the accident:
8. Occupation of the person injured/dead:
9. Nature of injuries sustained:
10. Name and address of Police Station in whose jurisdiction accident took place or was registered:
11. Name and address of the Hospital/Medical Officer/Practitioner who attended on the injured/dead:

12. Name and address of the claimant/claimants:

13. Relationship with the deceased:

14. Copy of bill given by the Hospital which has provided Cashless treatment as per Scheme framed under section 162 of the Act:

15. Any other information that may be considered necessary or helpful in the disposal of the claim:

I hereby swear and affirm that all the facts noted above are true to the best of my knowledge and belief.

SIGNATURE OF THE CLAIMANT

*Strike out whichever is not applicable.

FORM II

[Clause 21 (2) (ii)]

CLAIMS ENQUIRY REPORT TO BE SUBMITTED BY THE CLAIMS ENQUIRY OFFICER TO THE CLAIMS SETTLEMENT COMMISSIONER

1. Name and address of the person dead/injured:
2. Place, time and date of the accident:
3. Particulars of the Police Station in which the accident was registered:
4. Particulars of the Hospital/ Medical Officer/ Practitioner who examined the dead/injured:
5. Particulars of persons summoned and examined:
6. Whether the fact of death/injury by hit and run motor accident has been established or not and the reason for coming to that conclusion:
7. The name and address of claimant(s) eligible for payment of compensation:
8. Amount spent on cashless treatment of the victim.
9. The amount of compensation recommended for payment to the claimant. (In case of more than one claimant the amount each one of the claimants is eligible for, and the reasons thereof shall be specified).
10. Any other information or records relevant or useful for the settlement of the claim.

Signature, designation
of the Claims Enquiry Officer.

Seal:

Date:

FORM III

[Clause 22 (1)]

Serial No.....
Claims Settlement Commissioner
District.....

ORDER

I hereby sanction Rs. (Rupees only) as compensation in respect of the death of(Name of deceased)/grievous hurt to.....(Name of the injured) resulting from hit and run motor accidents which took place at.....(Name of place) on.....(Date) to Shri/Shrimati/Kumari.....as legal representative of the deceased (.....) or to.....(Name of injured).

Claims Settlement Commissioner

CC to: —

1. Trust and GIC
2. The Claimant;
3. Motor Vehicles Accident Claims Tribunals;
4. Claims Enquiry Officer;
5. Member Secretary of the Standing Committee.

FORM IV**[Clause 20(1)]****UNDERTAKING FOR REFUND OF CLAIM**

(Under section 163 of the Motor Vehicles Act, 1988)

I/We.....as legal representative(s) of the deceased/injured.....hereby give undertaking that I/we shall refund the amount of compensation that may be awarded to me/us under Section 161 of the Act, to the Hit and Run Compensation Fund of the Motor Vehicle Accident Fund in case I/we am/are awarded any other compensation or amount in lieu of or by way of satisfaction of a claim for compensation in respect of death or grievous hurt to.....under any other provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 or any other law for the time being in force or otherwise.

Signature of the legal representative
of the deceased/injured person.”.

[F. No. RT-11036/64/2019-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.